न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 26 सन 2020
अनवान :–

1. लिखमाराम पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. नौरगलाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 10/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 60/56 की कुल 27.6710हैक भूमि प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 सयुक्त तौर से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण क्रमंशः नौरग , भंवरा , मदन, लिखमा पि0 रामचन्द्र दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम नौरगलाल , भंवरलाल, मदनलाल, लिखमाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थीगण का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थीगण का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में प्रार्थीगण का नाम भवरा , मदन, लिखमा , नौरग दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 60/56 की कुल 27.6710हैक भूमि में प्रार्थीगण का नाम भवरा , मदन , लिखमा , नौरग के स्थान पर भंवरलाल , मदनलाल , लिखमाराम, नौरगलाल पुत्र रामचन्द्र संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 60/56 की कुल 27.6710हैक भूमि प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 सयुक्त तौर से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण क्रमंशः नौरग , भंवरा , मदन, लिखमा पि0 रामचन्द्र दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम नौरगलाल , भंवरलाल, मदनलाल, लिखमाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थीगण का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थीगण का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में प्रार्थीगण का नाम भवरा , मदन, लिखमा , नौरग दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 60/56 की कुल 27.6710हैक भूमि प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 सयुक्त तौर से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण का नाम भवंरा , मदन , लिखमा नौरग दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उनका सही नाम भंवरलाल, मदनलाल , लिखमाराम , नौरगलाल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में प्रार्थीगण का नाम भंवरलाल, मदनलाल , लिखमाराम , नौरगलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 60/56 की कुल 27.6710हैक भूमि प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का नाम लिखमा , भंवरा , मदन , नौरग दर्ज है के स्थान पर लिखमाराम , भवरलाल मदनलाल, नौरगलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 26 / 2020 अनवानी लिखमाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. लिखमाराम 2. भंवरलाल ,3 मदनलाल पि0 रामचन्द्र जाति माली निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. नौरगलाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 26 / 2020 अनवानी लिखमाराम बनाम सरकार में दिनांक 10/08/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 60 / 56 की कुल 27.6710हैक भूमि प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का नाम लिखमा , भंवरा , मदन , नौरग दर्ज है के स्थान पर लिखमाराम , भवरलाल मदनलाल, नौरगलाल संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर